कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 885 दिनांकः– 01.8.19

सेवा में,

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल,
गिरिडीह।

विषय :– गिरिडीह जिलान्तर्गत मौजा–खापेबेरा, पीरटांड में 33/11 के0वी0 सब–स्टेशन निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/JH/VELEC/34134/2018 कुल–0.5139 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– आप का पत्रांक 607 दिनांक 05.07.2019

महाशय,

प्रांसगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना FP/JH/VELEC/34134/2018 33/11 KV सब–स्टेशन निर्माण हेतु कुल 0.5139 हे0 मात्र अधिसूचित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के जाँच के क्रम में निम्नांकित कमियां/त्रुटियां पाई गई है:–

1. प्रस्तावित/परियोजना स्थल पर 27 वृक्ष प्रतिवेदित है, यह स्पष्ट नही है कि इसमें से कितने वृक्षों का पातन किया जाना है। वर्तमान 27 वृक्ष के आधार पर गणना में प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टर 50 वृक्ष से अधिक होता है। इस स्थिति में क्षतिपूरक वनरोपन हेतु गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त किया जाना आवश्यक है, जो उपलब्ध नहीं कराया गया है।
2. उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित स्थल के KML file को Google earth पर देखने से परियोजना स्थल के समीप से गुजरने वाले सड़क के दोनों ओर वनाच्छादित क्षेत्र है। सड़क के दूसरी तरफ एक नवनिर्मित भवन परिसर दिख रहा है। प्रथम दृष्ट्या (वर्ष 2013–17 के बीच) निर्मित इस परिसर को लगातार विस्तारित किया जा रहा है। अतः सुनिश्चित हो लें कि यह भवन परिसर वन/जंगल झाड़ी वन भूमि पर तो नहीं है? अगर ऐसा है तो क्या इसके लिए पूर्व स्वीकृति भारत सरकार से ली गई है?
3. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् उपायुक्त, गिरिडीह का प्रमाण–पत्र संलग्न नही है।

उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण करते हुऐ प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित प्रस्ताव को निराकरण हेतु Online वापस की जा रही है।

विश्वासभाजन

1.8.2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

1.8.19

H:\Vikash\Kaimuddin Sir\गिरिडीह जिलान्तर्गत मौजा-खापेबेरा, पीरटांड 33 11 के0वी0 सब-स्टेशन 0.5139 हे0.docx

झारखण्ड सरकार

कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह।

मोहनपुर, पोस्ट–पचम्बा, जिला–गिरिडीह–815316

Email: cf-giridih@gov.in, cfgiridih@gmail.com

ज्ञापांक :– 752 गिरिडीह / दिनांक :– 02-08-2019

प्रतिलिपि:– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रस्ताव में त्रुटियों का निराकरण करते हुए अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

02.8.19

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल गिरिडीह।